रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072021-228099
CG-DL-E-03072021-228099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 468(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक पद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह `क' पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्लिखित विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और ग़ुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्राल (समूह 'क पद), भर्ती नियम, 2021 है। (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रव्रत होंगें।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताये आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताये और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं

4. निर्रहता—वह व्यक्ति-

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षाकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबध करके इन नियमो के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति : इन नियमो की कोई बात, ऐसे आरक्षणो आयु-सीमा में छूट और अन्य रियाय्तो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध मे समय-समय पर ज़ारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछ्ड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिको और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेशित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताये
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1. सयुंक्त निदेशक	02* (2021) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा. समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/-रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा अवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धति होगी या प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन की दशा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया

के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	हो	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	में वें श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	।	जायेगा |
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/-रु) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे उप-निदेश्क जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700-/-रु) (श्रेणी-11) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण1: ज्येष्ठता किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अवलंबी का हकदार नहीं है जब तक कि वह संबंधित नियमों द्वारा विहित पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है।	समूह ‘ क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे 1. महानिदेशक, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. वैज्ञानिक ‘जी’, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-सदस्य** 3. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,	लागू नहीं होता

			प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने से पहले पद के लिए विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व पद के लिए विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति के लिए पदधारी का योग्य होना आवश्यक होगा ताकि प्रोन्नति के लिये विचार किया जा सके । ज्येष्ठता केवल पात्र व्यक्तियों के बीच सुसंगत हो । पात्रता के लिए ज्येष्ठ स्थान्नापन्न नहीं किया जा सकता न ही अगले उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति के मामले अभिभावी नहीं हो सकता टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए, उप निदेशक की एक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी और ज्येष्ठता श्रेणी नियमित सेवा उनके कार्यग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी। टिप्पण 3 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक **-सदस्य**	

			व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद पर		

			हो (ii) श्रेणी-11 के (67700-208700/-रु) के वेतनमान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो (विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रातिनियुक्त प्रोन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे) टिप्पण 1 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी		

			सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंध्रो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हे सशस्त्र बल से नियक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप- निदेशक	05* (2021) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा. समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 /-रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति /	यदि विभागीय		भर्ती करने में किन

किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	अवधि यदि कोई हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वें श्रेणिया जिनसे प्रौन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800/-रु) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-/-रु (श्रेणी-9) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण1: ज्येष्ठता किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अवलंबी का हकदार नहीं है जब तक कि वह संबंधित नियमों द्वारा विहित पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है।	समूह ‘ क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे 1. महानिदेशक, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-अध्यक्ष** 2. वैज्ञानिक ‘जी’, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **-सदस्य** 3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार	लागू नहीं होता

			पूर्व पद के लिए विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति के लिए पदधारी का योग्य होना आवश्यक होगा ताकि प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सके। ज्येष्ठता केवल पात्र व्यक्तियों के बीच सुसंगत होगा । पात्रता के लिए ज्येष्ठता को स्थान्नापन्न नहीं किया जा सकता न ही अगले उच्चतर पात्रता के लिए प्रोन्नति के मामले में अभिभावी नहीं हो सकेगा । टिप्पण 2: पदोन्नति के लिए, प्रशासनिक अधिकारी की एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और ग्रेड में नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। टिप्पण 3 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से एक **-सदस्य**	

			व्यक्तियों कई सम्बंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी (i) मूल कैडर में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; या श्रेणी-9 के (53100-167800/- रु) के वेतन् मान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो		

			(ii) स्तर-8 के स्तर में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी (विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त प्रोन्नति पर भर्ती पर विचार के योग्य नहीं होंगे) टिप्पण 1 : किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अवधि की अवधि तुरंत ही केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पहले नहीं होगी जो आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी सशस्त्र बल कार्मिक के लिये		

			प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिकों के सम्बंध में विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निहित अर्हताये हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।		

[फा. सं.2(6)/2018-पी ए (टीबी)]

अरविंद कुमार, महानिदेशक एसटीक्यूसी निदेशालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

G.S.R 468(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2001. In so far as they relate to the posts of Joint Director and Deputy Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group `A' posts of Joint Director and Deputy Director in the Standardisation Testing and Certification Directorate Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Joint Director and Deputy Director, Group 'A' post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, -

a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in, writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection Post or Non Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1. Joint Director	*02 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200/-)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment	In case of Recruitment by promotion/ deputation/ absorption and grades from which promotion/ deputation/	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission

for direct recruits will apply in the case of promotees		or by promotion or by Deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	absorption to be made.		is to be consulted in making recruitment
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Deputy Director with five years regular service **in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-)** in Laboratories / Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate). **Note 1**: Seniority does not entitle the incumbent for promotion to a higher post unless he fulfils the eligibility condition prescribed by the relevant rules. The incumbent must be eligible for promotion having regard to the qualifications prescribed for the post before he can be considered for promotion. Seniority will be relevant only amongst persons eligible. Seniority cannot be substituted for eligibility nor it can over-ride it in the matter of promotion to the next higher post.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of: 1. Director General, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology-**Chairman** 2. Scientist "G" of STQC Directorate OR Ministry of Electronics and Information Technology-**Member** 3. Joint Secretary to the Government of India from a Ministry other than the Ministry of Electronics & Information Technology-**Member**	Not applicable.

			Note 2: For promotion, A seniority list of Deputy Director will be prepared and seniority shall be determined from the date of their joining the regular service in the grade. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** From amongst Officers of the Central Government / State Governments :- i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with five years of regular service in posts in **level -11**		

			in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-) or equivalent. **(The departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).** **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation (short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Deputation or re-employment for Armed Forces personnel :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such		

			personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment.		

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection Post or Non Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2. Deputy Director.	05* **(2021)** *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Proba-tion, if any	Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion/ deputation/ absorption and grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Administrative Officers **in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100 – 167800)** in Laboratories/ Centres under Standardisation Testing and Quality Certification Directorate) with five years of regular service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion & confirmation) consisting of: 1. Director General, STQC Directorate	Not applicable.

			Note 1: Seniority does not entitle the incumbent for promotion to a higher post unless he fulfils the eligibility condition prescribed by the relevant rules. The incumbent must be eligible for promotion having regard to the qualifications prescribed for the post before he can be considered for promotion. Seniority will be relevant only amongst persons eligible. Seniority cannot be substituted for eligibility nor it can over-ride in the matter of promotion to the next higher post. **Note 2**: For promotion, i) A seniority list of Administrative Officer will be prepared and seniority shall be determined from the date of their joining the regular service in the grade. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Ministry of Electronics and Information Technology- **Chairman** 2. Scientist "G" of STQC Directorate OR Ministry of Electronics and Information Technology- **Member** 3. Joint Secretary to the Govt of India. from a Ministry other than the Ministry of Electronics & Information Technology- **Member**	

			completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** From amongst Officers of the Central Government/State Government :- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or with five years of regular service in posts in level – 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800/-) or equivalent (ii) Officers with six years regular service in the level of Level 8 of 7th CPC) **(The departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)** **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately		

			preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation (short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Deputation or re-employment for Armed Forces personnel :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment.		

[F.No. 2(6)/2018-PA(TB)]

ARVIND KUMAR, Dir. Genl. STQC Directorate.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.